



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-120

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268883 दिनांक 27/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	MUKESH KUMAR GURJAR S/o HARSAHAY GURJAR	दिनेश बागडा पुत्र बीएम शर्मा	221	111.11 SQ. YARD	Cooperative	BUDH VIHAR (TOPKHANA DESH GNSS) Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुद्ध बिहार के भूखण्ड संख्या बी-221 क्षेत्रफल क्षेत्रफल 111.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 14.02.2007 को दिनेश बागडा पुत्र बीएम शर्मा के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् बेचान के आधार पर जविप्रा द्वारा दिनांक 17.07.2007 को मोती राम रोहरा पुत्र नेहचल दास रोहरा के नाम से नाम हस्तांतरण जारी किया गया। तत्पश्चात् बेचान के आधार पर जविप्रा द्वारा दिनांक 10.08.2011 को रेणु अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल के नाम से नाम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

हस्तांतरण जारी किया गया।
तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2021 को रेणु अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल जरिये मुख्त्यारआम अशोक अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल द्वारा राजेश चौधरी पुत्र रामेश्वर चौधरी को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2025 को राजेश चौधरी पुत्र रामेश्वर चौधरी द्वारा श्री मुकेश कुमार गुर्जर पुत्र हरसहाय गुर्जर को कर दिया गया। उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज बैंक में रहन है। आवेदक द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. MUKESH KUMAR GURJAR S/o HARSAHAY GURJAR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

भौतिक पत्रावली।

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।